

न्यायालय न्यायिक मजि०,भोगनीपुर,,कानपुर देहात ।
मुकदमा संख्या-280 / 17

सरकार बनाम छोटे उर्फ समशाद आद ।

आदेश

23.11..2017

अभियुक्तगण छोटे उर्फ शमशाद, सारूख ,मुजीब एवं शानूर बक्स मुकदमा संख्या 280 / 17अंतर्गत धारा 323,325,504 भा०द०सं० थाना भोगनीपुर कानपुर देहात के अपराध मे गैर जमानतीय वारण्ट के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, की ओर से गैर जमानतीय वारण्ट को निरस्त किये जाने हेतु दिया गया है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्तगण गैर जमानतीय वारण्ट के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा मे निरुद्ध है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध जारी जमानतीय वारण्ट इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथियो को न्यायालय उपस्थित आता रहेगा साथ ही उसके द्वारा बीस हजार रुपये की मुचल्का निष्पातिद किया जाये ।

जे०एम०,भोगनीपुर,,

का. दे.

